

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ४०७] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर १४, १९८२/भाद्र २३, १९०४
No. 407] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 14, 1982/BHADRA 23, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, १४ सितम्बर, १९८२

का. आ. ६६४(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद २५३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आवश्यक सेवा अधिनियम, १९८१ (१९८१ का ४०) की धारा ३, ८ और ९ में विनिर्दिष्ट प्रकार के आदेश करने में जहां तक उनका संबंध उक्त अधिनियम की धारा २ की उपधारा (१) के खंड (क) के उपखंड (१२) और (१५) में विनिर्दिष्ट : (क) ऊर्जा के उत्पादन, पूर्ति और वितरण का कारबार करने वाले किसी संस्थान या उपक्रम में किसी सेवा में है, और (ख) राज्यों के विधान मण्डलों के निर्वाचनों से सम्बन्धित किसी सेवा में है, केन्द्रीय सरकार के कृत्यों को आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल,

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिझोरम, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, सरकारों को उक्त राज्यों में से प्रत्येक राज्य सरकार की सम्मति से, इस शर्त के अधीन रहते हुए सौंपते हैं कि ऐसे समन्वयन के होते हुए भी उक्त कृत्यों का प्रयोग केंद्रीय सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

[सं. 1/11025/25/81-आई एस यू एस डी-2]

एन. एन. गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 1982

S.O. 664 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 258 of the Constitution, the President hereby entrusts to the Governments of Andhra Pradesh, Assam, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Madhya Pradesh, Manipur, Meghalaya, Orissa, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamilnadu and Uttar Pradesh with the consent of the Government of each of those States, the functions of the Central Government in making orders of the nature specified in sections 3, 8 and 9 of the Essential Services Maintenance Act, 1981 (40 of 1981), in so far as they relate to : (a) any service in any establishment or undertaking dealing with the production, supply or distribution of power, and (b) any service in connection with elections to the Legislatures of the States, specified in sub-clauses (xii) and (xv) of clause (a) of sub-section (1) of section 2 of the said Act, subject to the condition that notwithstanding such entrustment the said functions may also be exercised by the Central Government.

[No. 1/11025/26/81-IS-US-D-II]

L. N. GUPTA, Jt. Secy.